

सीमा सुरक्षा सैनिकों पर गोलाबारी की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप जान व माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रो ( श्री यशवन्तराव चव्हाण ) :** (क) पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने 8, 9 और 10 दिसम्बर, 1966 को बेलोनिया पर तथा उसके चारों ओर भ्रास पास रुक-रुक कर गोलाबारी की थी ।

(ख) जान व माल की हानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) किसी भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने से रोकने के लिये कारगर उपाय ध्यनाये गये हैं, और पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों को गोलाबारी करने से रोकने के लिये लगातार कोशिशों की गई हैं ।

### Public Sector Undertakings

**2328. Shri S. E. Damani:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that I.A.S. officials have been deputed to the public sector undertakings;

(b) if so, the number of such officials serving the different public sector undertakings at present; and

(c) the tenure of such deputations?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

### International Commission of Jurists

**2329. Shri George Fernandes:**

**Shri J. H. Patel:**

**Shri A. Sreedharan:**

**Shri Madhu Limaye:**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether the International Commission of Jurists have, in a declaration published in their Bulletin issued from Geneva in March, April, 1967, criticised the Government of India for "suppression of basic human rights" in India; and

(b) the steps Government propose to take in this regard?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan):** (a) Government have seen the article on "Inroads into Fundamental Rights in India" in the March, 1967 issue of the Bulletin of the International Commission of Jurists.

(b) Government have explained in Parliament from time to time their policies regarding the Preventive Detention Act and the state of emergency. No further action is considered necessary.

दिल्ली में फर्मों से प्राप्त गैर-कानूनी दस्तावेज

**2330. श्री हुकम चन्द कछवाय :**

**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 में दिल्ली के चावड़ी बाजार में लोहे के सामान की एक फर्म तथा छः अन्य फर्मों में मारे गये छापों के दौरान गैर-कानूनी दस्तावेज पकड़े गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) उन्होंने घायर का कितना प्रपञ्चन किया था : और

(ब) इन फर्मों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिष्णु चरण शुक्ल): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर अधिकारियों ने 7-4-67 को मेसर्स सूरजभान अग्रवाल एंड सन्स की फर्म, हार्डवेयर मर्चेण्ट्स, चावडी बाजार, दिल्ली एव उसके मालिक के निवास स्थान, चावडी बाजार, दिल्ली में छापा मारा और कुछ दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया। इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न, तभी उठेगा जब दस्तावेज आदि की जांच के पश्चात् यदि यह सिद्ध हुआ कि व्यापारी ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कुछ अनियमितताएँ की हैं। इसी प्रकार आय कर की अपवचन की गई राशि, यदि कुछ है, केवल सम्बन्धित आयकर के मूल्यांकन-कार्य के पूरे होने पर जानी जा सकती है। अप्रैल, 1967 में ऐसी किसी दूसरी फर्म पर छापा नहीं मारा गया था।

मंत्रियों के निजी सहायक (पर्सनल असिस्टेंट और सचिव

2332. श्री विभूति मिश्र :  
श्री क० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के वर्तमान मंत्रियों ने अपने राज्यों तथा अपनी ही जाति के लोगों को अपने निजी सहायक तथा सचिव नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिष्णु चरण शुक्ल) (क) से (ग) : मंत्रियों को अपने निजी कर्मचारियों के चुनाव में स्वाधीनता है जिससे कि वे ऐसे व्यक्तियों को चुन सकें जिन पर उन्हें विश्वास हो। निजी कर्मचारियों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की प्रकृति के कारण इस प्रकार की स्वाधीनता आवश्यक समझी गई है। फिर भी, अधिकतर मामलों में ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति किसी न किसी सगठित सेवा से सम्बन्ध रखते हैं।

#### Reimbursement of Expenses for Policing International Border

2333. Shri R. Barua: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether Government propose to reimburse the expenses incurred by the Government of Assam in policing the international border and in supplying food ration to the Police Forces sent to Assam by the Union Government; and

(b) the break-up of these expenses from 1960 onwards?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). It will not be in the public interest to disclose the information asked for.

#### Unemployment among Engineers

2334. Shri Sradhakar Supakar:  
Shri N. R. Laskar:  
Shri Gunanand Thakur:

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state:

(a) whether there is a large scale unemployment and under-employment among the new Graduates and Overseers in most branches of Engineering; and

(b) whether in many educational institutions, the intake of students per annum is being consequently reduced?

The Minister of State in the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a)